न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के. सिंह

सदस्य

पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक 4119/I/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.07.2014 पारित द्वारा राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 2315/दो-14 निगरानी

जितेन्द्र पाल मोंगिया पुत्र स्व. श्री गोविन्द राम मोंगिया निवासी-पुराना पाव हाउस के पास सतना तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

1- आमजनता कोलगवां सतना म.प्र.

2- कैलाश चन्द्र जैन पुत्र स्व. श्री मदनलाल जैन

3- नरेश जैन पुत्र स्व. श्री मदनलाल जैन

4- महेश जैन पुत्र स्व. श्री मदनलाल जैन

5- राजेश जैन पुत्र स्व. श्री मदनलाल जैन

निवासीगण-पुराना पाव हाउस के पास सतना तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

श्री आर.एस. सेंगर अभिभाषक आवेदक
श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 1
डी.के.शर्मा अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 2
पी.के.तिवारी अभिभाषक अनावेदक क्रमांक 3,4,5

आदेश

(आज दिनांक 21../04/2016)

यह पुनर्विलोकन आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 2315–दो/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17.07.2014 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 51 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि आम जनता कौलगवां द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर कलेक्टर के पत्र क्रमांक शिकायत/2013/53 सतना दिनांक 17.01.2013 द्वारा इस आशय से निर्देश दिये गये कि उक्त आराजीयो पर स्थित आवासी कालोनियो के रास्ते की भूमि को ाासकीय दर्ज करना सुनिश्चित करे। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम कौलगवां की आराजी नं. 374/1क, 375/1क1, 377/1क1, 400/1/1, 401/1/1, 402/1/1, 403/1क1, 404/1/1क, 407/7/1, 406/1/1, 407/1/1, 405/1/1, 448/1/1, 390/632/1 कुल रकवा 3.077 है0 कैलाश चन्द्र जैन, नरेश जैन, महेश जैन एवं राजेश जैन पिता मदनलाल जैन व गोविन्द राज तनय बोधराम मोगिया सतना के नाम भूमि स्वामी स्वत्व में अकित है। उक्त आराजियों पर कालोनी निर्मित है तथा इन्ही नम्बरो के बचे हुये नम्बरो मे नाली व सड़क निर्मित है। उक्त आधार पर तहसीलदार द्वारा उपरोक्त आराजियों के रकवे को वाजिब उल अर्ज में दर्ज किये जाने की अनुशंसा कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया गया। उनके द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर उद्घघोषणा का प्रकाशन कराया गया उद्घघोषणा प्रकाशन पर खातेदार महेश जैन एवं गोविन्द राम की ओर से उनके वारिसों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि उक्त भूमियों का सम्पूर्ण रकवा सड़क व नाली

में प्रभावित नहीं है अतः विधिवत् सीमांकन कराकर जितना सड़क नाली में प्रभावित होता है उतना ही रकवा रास्ता एवं नाली हेतु अंकित कराया जाये। तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से स्थल जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया जिसके आधार पर खसरे के कॉलम नं. 12 में सड़क एवं नाली हेतु सुरक्षित रकवा अंकित किये जाने का आदेश अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नगर सतना द्वारा पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी जो आदेश दिनांक 17.07.2014 को निरस्त की गयी तत्पश्चात् इसी आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया गया है।

3- पुनर्विलोकन मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई अवसर दिये बिना आदेश पारित किया है तथा यह भी कहा कि उनके द्वारा सम्पूर्ण आराजी बिक्री नहीं की गई है । यह आदेश राजस्व निरीक्षक के एक पक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के पीठ–पीछे की गयी कार्यवाही के आधार पर आदेश पारित किया गया माननीय न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की प्रतिलिपी के आधार पर आदेश पारित किया है जिससे आवेदक के हित प्रभावित हुये है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5- अनावेदकगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में जो आदेश पारित किया है वह

विधिवत् एवं अभिलेख के अनुसार होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया एवं बताया गया कि वर्तमान प्रकरण में पुनर्विलोकन का कोई भी आधार नहीं है ऐसी स्थिति में पुनर्विलोकन निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6- उभय पक्षों के अभिभाषको के तर्को पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2014 उभय पक्षो की सुनवाई की जाकर प्रकरण में विधिवत् उद्घो ाणा जारी कर आपत्तियॉ आमंत्रित कर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत स्थल जॉच प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया है इस आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी थी जिसमें अभिलेख के आधार पर आदेश दिनांक 17.07.2014 पारित किया है ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में पुनर्विलोकन का कोई आधार नहीं है आवेदक द्वारा पुनर्विलोकन में ऐसी कोई त्रुटि नहीं बतायी गयी है जो अभिलेख से प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो। 1992 आर.एन. 247 में स्पष्ट किया गया है कि धारा 51 पुनर्विलोकन अभिलेख से प्रथम दृष्टया प्रत्यक्ष भूल नहीं बतायी गयी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 47, नियम 1 के अधीन बताये गये कोई भी आधार विद्यमान नहीं है। पुनर्विलोकन पोषणीय नहीं है 1995 आर.एन. 109 में स्प ट किया गया है कि पुनर्विलोकन की ाक्तियॉ परोक्ष रूप से पुनरीक्षण के समान प्रयुक्त नहीं की जा सकती। 1995 आर.एन. 423 में स्पष्ट किया गया है कि भू-राजस्व संहिता की धारा 51 व्याप्ति पुनर्विलोकन का कोई आधार नही दर्शाया-केवल पुनर्विलोकन आवेदन पत्र के आधार पर समस्त साक्ष्य एवं विधि का पुर्नविचार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में पुनर्विलोकन

का कोई आधार नहीं होने से पुनर्विलोकन निरस्त किये जाने योग्य है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनर्विलोकन निरस्त किया जाता है इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2014 स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर